निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 310) पटना, सोमवार, 11 अप्रील 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 मार्च 2016

सं० 22/नि0 सि0 (विभा0)–03–1019/90/419—श्री वैद्यनाथ प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, फुलवरिया नहर प्रमण्डल, सिरदल्ला के पदस्थापन अवधि (दिनांक 12.04.84 से 31.12.88) में बरती गयी अनियमितताओं की जानकारी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना, अधीक्षण अभियन्ता, जल पथ अंचल, नवादा एवं महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–आई0 आर0–1/88–89 से प्राप्त होने पर विभागीय स्तर पर इसकी जॉच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उपरोक्त सभी प्रतिवेदनों के समीक्षोपरान्त श्री वैद्यनाथ प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता वर्ष 86–87, 87–88 एवं 88–89 की अवधि में नहरों की मरम्मति, सुदृढ़ीकरण, नहर टूट एवं अनियमित रूप से नहरों के उड़ाही मद में कार्यो को छोटे–छोटे टुकड़े कर अधिकांशतः 25,000/– (पचीस हजार रूपये) के अन्दर का एकरारनामा करने तथा 2,000 (दो हजार रूपये) तक के अन्दर प्रथम एवं अंतिम विपत्र बनाकर हस्त रसीद पर 55.98 लाख रूपये का अनियमित भुगतान के लिए दोषी पाये गये जिसके लिए विभागीय आदेश सं0–88 दिनांक 26.03.91 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1357 दिनांक 04.06.91 द्वारा उनके विरूद्व सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1950 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति उन्हें उपलब्ध कराते हए विभागीय पत्रांक 376 दिनांक .9.04.95 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद निम्नलिखित आरोपों के लिए दोषी पाये गयेः–

(i) वर्ष 1986–87 से 88–89 के बीच नहर के कार्य को टुकडे–टुकड़े कर एकरारनामा करना

(ii) 2,000 (दो हजार रूपये) का प्रथम एवं अंतिम विपत्र बनाकर हस्त रसीद पर 1.92 लाख रूपये का भुगतान करना।

(iii) प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का अतिक्रमण कर अनियमित व्यय करना।

(iv) प्राक्कलन को टुकड़े–टुकड़े कर अपनी सक्षमता के अन्दर लाना।

(v) दिसम्बर 87 तथा अक्टुबर, नवम्वर एवं दिसम्वर–88 में जब निरीक्षण हुआ तो अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे संकेत मिलता है कि वित्तीय अनियमितता एवं दुरूपयोग का प्रयास किया गया एवं जॉच में सहयोग नहीं दिया गया।

इस बीच प्रसाद द्वारा निलंबन आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–3334/91 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निदेश के आलोक में विभागीय आदेश सं0–25 दिनांक 04.02.92 द्वारा श्री प्रसाद को दिनांक 04.06.91 से पूर्ण वेतन भत्ता भुगतान करने आदेश निर्गत किया गया। विभागीय आदेश सं0–1079 दिनांक 22.09.97 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबन से मुक्त किया गया।

उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गयाः–

(i) निन्दन वर्ष 88–89

(ii) कार्यपालक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदावनति (रिमर्शन)।

(iii) निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा किन्तु निलंबन की अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 3063 दिनांक 22.09.97 द्वारा श्री प्रसाद से पुनः द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर पत्रांक शून्य दिनांक 07.10.97 की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न आरोप प्रमाणित पाये गयेः–

(i) वर्ष 1986–87 से 1988–89 में 58.98 लाख रूपये के नहर के कार्य को टुकड़ा–टुकड़ा कर एकरारनामा करना।

(ii) 2,000 (दो हजार रूपये) का प्रथम एवं अंतिम विपत्र बनाकर हस्त रसीद पर भुगतान करना (1.61 लाख)।

(iii) प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का दुरूपयोग कर अनियमित व्यय करना।

(iv) प्राक्कलन को टुकड़ा–टुकड़ा कर अपनी सक्षमता के अन्दर लाना।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1499 दिनांक 30.11.2000 द्वारा श्री वैद्यनाथ प्रसाद, कार्यपालक अभियंता को निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः–

(i) ''निन्दन'' जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 88–89 में की जायेगी।

(ii) कार्यपालक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदावनति (रिमर्शन)।

(iii) निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा किन्तु निलंबन की अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–13057/2000 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 31.07.15 को निम्न न्याय निर्णय पारित किया गयाः–

12. I have perused the order passed by the Disciplinary Authority imposing the punishment upon the petitioner as indicated above. I do not find any discussion on the petitioner's representation against the findings of the Inquiry Officer in the said order of punishment. The impugned notification/order of punishment dated 30.11.2000 has thus became vulnerable and requires interference by this Court. The notification dated 30.11.2000 imposing punishment upon the petitioner is, accordingly, quashed

13. The respondents are directed to pass an order afresh after considering the petitioner's respresentation which has been brought on record by way of Annexure-12 to the present writ application. Such order must reflect application of mind showing consideration of the said representation of the petitioner against findings of the Inquiry Officer. This court will not comment upon the nature of punishment which the diciplinary authority may pass thereafter as learned State Counsel appears to be right in his submission that it is purely within the discretion of the disciplinary authority to impose appropriate punishment.

14. However, as has been stated at the bar, the petitioner is said to have attained the age of superannuation on 31.01.2001. the disciplinary authority will consider awarding appropriate punishment upon the petitioner Under Bihar Pension Rules. The disciplinary authority must pass an order, in the light of the present order of this Court within a period of six months from the date of receipt/production of a copy of this order, failing which the petitioner will be entitled to all benefits.

उक्त न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–2190 दिनांक 24.09.15 द्वारा दण्डादेश अधिसूचना ज्ञापांक 1499 दिनांक 30.11.2000 को निरस्त किया गया तथा श्री प्रसाद के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1357 दिनांक 04.06.91 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1950 के नियम 55 के तहत संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया तथा विभागीय पत्रांक 2268 दिनांक 01.10.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक 07.10.97 (Annexure-12) एवं दिनांक 19.10.15 की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गयेः–

(i) आरोप सं0–1 के संबंध में श्री प्रसाद द्वारा कहा गया है कि वर्ष 1980–81 से लंबित आ रही योजना के वर्ष 86 में सिंचाई प्रारंभ किये जाने के विभागीय निर्णय के आलोक में कार्य को छोटे इकाई में तोड़कर अनेक संवेदकों से कार्य तेजी

से कराते हुए 9,352 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के विरूद्ध 7,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित किया गया। साथ ही कहा गया है कि कार्य को तोड़ने का विभाग में मान्य प्रचलन है एवं इसी प्रक्रिया के तहत जलपथ अंचल, नवादा द्वारा भी फुलवरिया जलाशय योजना के कार्य को टुकड़े में स्वीकृति दी गई। श्री प्रसाद द्वारा यह भी कहा गया है कि श्री शिवनारायण राम एवं श्री आर0 एन0 पी0 शर्मा, अधीक्षण अभियंता कार्य के निरीक्षण के दरम्यान प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की एवं वरीय पदाधिकारी होने के नाते समान रूप से दोषी रहते हुए दोष मुक्त हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह आरोप प्रक्रियात्मक दोष के अन्तर्गत आता है जिसके लिये मुख्य अभियंता ने ''चेतावनी'' एवं अभियंता प्रमुख ने मात्र प्रक्रियात्मक भूल के लिए दण्डित नहीं किये जाने की अनुशंसा की है। साथ ही कहा गया है कि लक्ष्य प्राप्ति या जन कल्याण के लिए अपनाई गई practical approach को अनियमितता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

श्री प्रसाद के उक्त कथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया क्योंकि मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.82 के अनु0 भाग–2 क (1) के अनुसार कार्य को छोटे टुकड़े में तोड़कर स्वीकृति के लिये वे ही पदाधिकारी सक्षम होते हैं जो पूरे कार्य के निविदा/कोटेशन निष्पादन के लिए सक्षम हैं। श्री प्रसाद द्वारा उक्त निदेश की अनदेखी की गई एवं इस प्रकार के कृत्य की पूर्व या घटनोत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त नहीं की गई। वित्तीय सक्षमता के बाहर स्वीकृति/एकरारनामा किया जाना अनियमितता की श्रेणी में आता है। अन्य को उद्धृत किया जाना प्रासंगिक नहीं है क्योंकि प्रस्तुत मामला श्री प्रसाद से संबंधित है। श्री शिवनारायण राम, अधीक्षण अभियंता ने संचालन पदाधिकारी से श्री प्रसाद को कार्य को टुकड़े में बाँटने, एकरारनामा करने तथा भुगतान से संबंधित कोई आदेश दिये जाने से इनकार किया है। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद प्रक्रियात्मक त्रृटि के लिए दोषी हैं।

(ii) श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप सं0–2 प्रमाणित नहीं पाया गया।

(iii) आरोप सं0–3 के संबंध में श्री प्रसाद द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहा गया है कि सरकार ने गबन का आरोप स्थगित कर दिया है और अब मात्र प्रक्रियात्मक अनियमितता का आरोप रह जाता है जो practical and prevalent approach के कारण है जो निजी स्वार्थवश नहीं बल्कि ससमय लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया है।

श्री प्रसाद के कथन से ही स्पष्ट है कि कार्य को छोटे टुकड़े में सक्षमता के बाहर स्वीकृति देकर एकरारनामा किया गया है। इस प्रकार श्री प्रसाद द्वारा विभागीय निदेशों/संहिता का उल्लंघन करते हुए अपनी वित्तीय शक्ति के बाहर कार्य को छोटी इकाई में तोड़कर स्वीकृति देते हुए एकरारनामा किया गया है। अर्थात श्री प्रसाद प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अतिक्रमण के लिये दोषी हैं।

(iv) आरोप सं0–4 के संबंध में श्री प्रसाद द्वारा कहा गया है कि यह आरोप आरोप सं0–1 एवं 3 3 के सदृश्य अथवा दोनों का संयुक्त है। साथ ही कहा गया है कि सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए नहरों के तीव्रता से निर्माण के उद्धेश्य से प्राक्कलन को टुकड़ा–टुकड़ा किया गया एवं दोनों लक्ष्य बिना सरकारी क्षति के प्राप्त किया गया।

श्री प्रसाद के उक्त कथन है को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया क्योंकि तथ्य यह है कि कार्य को वित्तीय शक्ति के बाहर टुकड़ों में स्वीकृति देकर एकरारनामा किया जाना मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.82 के अनु0 भाग–2 के क (1) का उल्लंघन है जिसमें स्पष्ट निदेशित है कि ''किसी कार्य को कितने टुकड़े में बाँटकर निविदा/कोटेशन माँगी जाय इसका निर्णय वही पदाधिकारी लेंगे जो उस पूरे कार्य (प्रोवैधिक स्वीकृति की राशि के अनुसार) की निविदा/कोटेशन निष्पादन के लिए सक्षम है।'' अतः इस निदेश के उल्लंघन के लिए श्री प्रसाद दोषी हैं।

(v) श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप सं0–5 प्रमाणित नहीं पाया गया।

इस प्रकार श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप सं0–1, 3 एवं 4 प्रमाणित पाये गये। प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति प्राप्त हैः–

1. 10% (दस प्रतिशत) पेंशन स्थायी रूप से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री वैद्यनाथ प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, फुलवरिया नहर प्रमण्डल, सिरदल्ला सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता हैः–

1. 10% (दस प्रतिशत) पेंशन स्थायी रूप से रोकै।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्यामानन्द झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 310-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in